

सं A.44012/06/2015-E-IV

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

कमरा सं 235, 'सी' विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
दिनांक: 12 जुलाई 2019

सेवा में,

श्री मुकुट बिहारी अग्रवाल,
42 बी मित्रा नगर कॉलोनी,
सुपर किंग स्कूल के सामने, रामनगर
सोडाला जयपुर, 302019 (राजस्थान)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई. आवेदन पंजीकरण संख्या DOHED/R/2019/80712, दिनांक 10.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करें जो कि इस अनुभाग में दिनांक 11.07.2019 को प्राप्त हुआ था।

2. इस सम्बन्ध में आपके द्वारा मांगी गयी पुर्वरत आर.टी.आई क्रमांक संख्या DOHED/R/2019/80636 दिनांक 23/05/2019 जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा जवाब दिनांक 04/06/2019 को सम संख्या पत्र द्वारा दिया जा चुका है। इसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

4. यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सैयद इकराम रिज़वी, निदेशक (स्थापना) और अपीलीय प्राधिकारी, कक्ष संख्या-419, 'सी' विंग, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 के समक्ष अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

संलग्नक : जैसा ऊपर दिया है।


(रत्नेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (स्थापना) तथा सीपीआईओ
टेलीफैक्स- 23385400

प्रतिलिपि : आर. टी. आई सेल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय | संदर्भित आर.टी.आई की कॉपी जानकारी के लिए संगलित है।

सं A.44012/06/2015-E-IV

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

कमरा सं 235, 'सी' विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001
दिनांक: 4th जून 2019

सेवा में,

श्री मुकुट बिहारी अग्रवाल,
42 बी मित्रा नगर कॉलोनी,
सुपर किंग स्कूल के सामने, रामनगर
सोडाला जयपुर, 302019 (राजस्थान)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

महोदय,

कृपया 23.05.2019 दिनांकित अपने आर.टी.आई. आवेदन का संदर्भ ग्रहण करें जो कि इस अनुभाग में दिनांक 29.05.2019 को प्राप्त हुआ था।

2. इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के कार्यालय जापन no.38/41/06-P&PW(A) dated 5th मई, 2009 एवं no.07/05/12-P&PW(A) dated 26th अगस्त, 2016 जो की भारत सरकार के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से सम्बंधित है की स्वतः स्पष्ट प्रतिलिपियाँ सूचनार्थ संगलित हैं।

3. इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थानों/ गैर शैक्षणिक संस्थानों एवं स्वायत्त संस्थानों के सम्बन्ध में जानकारी देने हेतु आर.टी.आई की प्रतिलिपि आर.टी.आई सेल को प्रेषित की जा रही है।

4. यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सैयद इकराम रिज़वी, निदेशक (स्थापना) और अपीलीय प्राधिकारी, कक्ष संख्या-419, 'सी' विंग, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 के समक्ष अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

संलग्नक : जैसा ऊपर दिया है।

(रत्नेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (स्थापना) तथा सीपीआईओ
टेलीफैक्स- 23385400

प्रतिलिपि : आर.टी.आई सेल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। संदर्भित आर.टी.आई की कॉपी यथोचित कार्यवाही हेतु संगलित है। आपसे अनुरोध है की आर.टी.आई 2005 की धारा 6(3) के तहत इस प्रतिक्रिया को पेश किया जाये।